

वास्तो जवाब दावा आयन्दा 21/06/19
को पेश हो

[Handwritten signature]

सहायक
(SDO) सिवाना

21.6.19


पत्रावली पेश हुई। वकील कादी
उपास्थित। अधिवक्ता श्री जयप्रकाश
शर्मा द्वारा पत्रावली संख्या 03 की
ओर से कालांतरात्मा पेश किया गया।
ओर पत्रावली का अन्तर्गत 7 मीटर
॥ एर पेश की गई। जो कार्रवाई
प्रतिफल हो। पत्रावली का दो ठोकापत्र
अधिवक्ता को की कक्षा भुचि उड़ी।
ओर पत्रावली की अवलोकन किया
गया। फिराने पाया, कि कादी की
ओर से पत्रावली वापस दो उत्रिदों

[Handwritten signature]
सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवाना

में पेश नहीं किया गया। चूंकि
कारणों को वादों में
करते समय एक वादों की तुलना
वादों में पेश करनी चाहिए
की। जैसा उक्त वादों में उक्त
की ऐसी सूत्र में उपनिषद् की
प्रार्थना पर लकीमाट प्रोग्राम है।

प्रियता प्रार्थना का प्रार्थना पर
अलग-अलग 7 दिनों में ॥ ५८
रखीकार कर वादों का वाद
०-७, १२-११ (३) के अलग-अलग वाद
के उपनिषद् में पेश नहीं किया
जाने के कारण स्वार्थ्य प्रियता
आता है। इसी वजह से।

की प्रार्थना प्रोग्राम
पत्रावली केवल सुधार लेकर
डाखील पत्र है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवाना

